56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1861–तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 4.9.2000 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 24/निगरानी/94–95.

....

1. नागेन्द्र सिंह तनय रविनाथ सिह
निवासी–भवन क्र0 26/07 द्वारिका नगर
तहसील हुजूर जिला–रीवा म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1– नीरज कुमार सिंह तनय मुत्युन्जन देव सिंह
निवासी –रायपुर कर्चुलियान तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदक

....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद भार्गव अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 24/निगरानी/94–95 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2000 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जावेगा) की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा उसने नायब तहसीलदार गोबिन्दगढ़ के न्यायालय में दिनांक 3.05.88 को एक आवेदन पत्र दिया कि ग्राम बासा की भूमि नं0 1522 रकबा 5.33 एकड का नामान्तरण उसके नाम कर दिया जावे। आवेदक ने नामान्तरण का आधार भूमि का 25000/–रुपये का पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 27.04.88 दर्शाया नायव तहसीलदार ने अपने ओदश दिनांक 5.11.88 के जरिये आवेदक के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरण प्रमाणित किया । आवेदक के अनुसार अनावेदक का उक्त भूमि में कोई हित नही था परन्तु उसने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार के ओदश को निरस्त कर दिया। आवेदक ने अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत किया लेकिन उन्होने प्रकरण में गंम्भीरतापूर्वक विचार न कर निगरानी निरस्त कर दिया। आवेदक के अनुसार अतिरिक्त कलेक्टर का ओदश विधि व प्रकिया के विरुद्ध है। आवेदक ने यह भी दर्शाया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदक द्वारा प्रकरण क 165/अ–6/87–88 निर्णय दिनांक 19.9.86 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क 144/अ–6/87–88 निर्णय दिनांक 06.11.88 के संबंध में आदेश पारित किया जो पूर्ण रुपेण अवैधानिक है। इस पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में कमलभान सिंह को पक्षकार नही बनाया गया जबकि तहसील न्यायालय में वह पक्षकार नहीं था, बनाया गया जबकि तहसील

न्यायालय में वह पक्षकार था आवेदक ने आवेदन पत्र में आगे उल्लेख किया है कि उसका मुखित्यार आम उसका पिता मृत्युजयदेव सिह था जिसे अनुविभागीय अधिकारी को सूचना भेजनी चाहिये थी इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया। अपीलार्थी के अनुसार मुखित्यारनामा के वैधता के बारे में दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने मुख्तियारनामा के वैधता का विनिश्यन कर त्रुटि किया। आवेदक के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय ने विचार नही किया आवेदन पत्र मे आवेदन में दर्शाया है कि दिनांक 18.08.92 को उसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई एक पक्षीय कार्यवाही गलत है क्यो कि दिनांक 27.12.91 का सम्मन्स की तामील की कार्यवाही भी त्रुटि पूर्ण है आवेदक के अनुसार इस समस्त मुद्दो पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4.9.200 से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके द्वारा अपने निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

4. अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदक द्वारा प्रकरण क0 165/अ–6/87–88 के निर्णय दिनांक 19.09.98 के विरुद्ध अपील दायरा की गई थी परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 144/अ–6 अ/87–88 के निर्णय दिनांक 5.11.88 के बारे में आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सम्पूर्ण कार्यवाही प्र0 प्र0 144/अ–6/87–88 के बारे में की गई परन्तु प्रथम आर्डर शीट दिनांक 1.5.89 में प्रकरण क0 165/अ–6/87–88 का संदर्भ है । आर्डर शीट में किया गया वह उल्लेख निसन्देह प्रकरण का संद्विग्ध बनाता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरा बिन्दु मुख्तियार नामा के वैधता

के बारे में उठाया है जिसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्तियार नामा के बारे में दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हुं। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने मुख्तियार नामा में अनावेदक के हस्ताक्षर के बारे में कहा है कि हस्ताक्षर बदले हुए है मूल हस्ताक्षर नही मिलते यह निष्कर्ष भी बिना किसी हैण्डराईटिग एक्सपर्ट के जांच के सम्भव नहीं है। वैसे प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदन ने अपने मूल हस्ताक्षर बदल दिये है आवेदन के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में आगे कहा है कि उसके विरुद्ध दिनांक 18.8.92 को की गई एक पक्षीय कार्यवाही अवैधनिक है। मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ और न ही उसे विधिवत सूचना तामील की गई दिनांक 13.07.89 को आवेदक को तलब करने हेतु आदेश दिया गया। दिनांक 13.9.89 के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, दिनांक 15.01.89 दिनांक 1.02.90 तक आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 9.04.90 का जारी की गई दिनांक 31.07.90 को भी आवेदक का जारी की गई नोटिस अदम तामील वापस लौटा इन तीनो तिथियों में न्यायालय द्वारा वार –वार अनावेदक का ओदश दिया जाता रहा कि वह आवेदक का सही पता दे ताकि उसे तलव किया जा सकें, यह स्थिति सन्देह को जन्म देती है। दिनांक 12.09.90 का पुनः नोटिस अदम तामील वापस लौटी दिनांक 29.10.90 दिनांक 28.11.90 और दिनांक 11.12.10 दिनांक 25.01.91 दिनांक 6.03.91 और दिनांक 9.04.91 इन समस्त तिथियो में आवेदक अनुपस्थित रहा, दिनांक 9.04.91 को उसे जरिये नोटिस चस्पानगी तलब किये जाने हेतु आदेश किया गया। दिनांक 1.09.91 दिनांक 19.09.91 दिनांक 10.09.91 तक नोटिस तामील उपरान्त वापस नहीं लौटी दिनांक 4.11.91 दिनांक 27.12.31 दिनांक 19.02.91 दिनांक 06.05.92 दिनांक 10.07.92 तक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित

नही हो सका स्पष्ट है कि उसको तलब करने की कार्यवाही में कहीं न कहीं गम्भीर त्रुटि थी । अचानक ही दिनांक 18.08.92 को आवेदक के विरुद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया जो सर्वथा गलत था, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई यह कार्यवाही अवैधनिक है। आवेदक के विद्धान अधिवक्ता ने तर्क में आगे कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण क0 203/90–91 में दिनांक 14.12.92 का पारित किया गया आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है जबकि अनावेदन गलत तरीके से राजस्व अधिकारी कर्मचारी को मिलाकर अपने नाम इत्यालायबी दर्ज करा लिया इस विन्दु के बारे में प्रकरण कमांक अपील 183/94–95 में निर्णय हो चुका है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके आदेश से मैं सहमत हूॅ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 24/निगरानी/94–95 में पारित आदेश दिनांक 4.9.2000 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर